महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-जेपीआर/118/2014/2690-2740 दिनांक :-16.04.2014

परिपत्र

विगत् वर्षो में कई बंदी आपात् पैरोल अथवा पैरोल की अवधि समाप्त होने के उपरान्त वापस जेल न पहुँचकर फरार हो गये। इनमें से कई फरार बन्दियों की गिरफ्तारी अभी शेष है। इन सभी फरार बन्दियों एवं उनके जमानतियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ फरार बंदी की गिरफ्तारी के ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

पूर्व से पैरोल से फरार चल रहे बंदियों एवं भविष्य में बंदी फरार होने की स्थिति में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जावेः-

1-बंदी के फरार होने की सूचना संबंधित पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त एवं पुलिस थाना को नियम 19, राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज़ ऑन पैराल नियम, 1958 के अनुरूप कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

2-फरार बंदी के विरूद्ध धारा 73, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तारी वारण्ट जारी कराने हेतु सक्षम न्यायालय से निवेदन किया जावे।

3-बंदी के मुचलके जब्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में निवेदन किया जावे।

4-बंदी के आपात् पैरोल/पैरोल स्वीकृत कराने हेतु जमानत प्रस्तुत की गई हो तो जमानत जब्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में निवेदन किया जावे।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः-

1-महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
2-उप महानिरीक्षक कारागार, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
3-अधीक्षक, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर
4-समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह एवं महिला बंदी सुधारगृह, राजस्थान

अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर